भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3750

12.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाना और अवसंरचना के विकास में तेजी लाना

3750. **श्री दुष्यंत सिंहः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क): नई पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाए जाने में किस प्रकार योगदान देती है;

(ख): सरकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को किस प्रकार प्रोत्साहित करेगी;

(ग): क्या ई-दुपहिया, ई-तिपहिया वाहनों, ई-बस, ई-ट्रक और अन्य उभरती हुई ईवी श्रेणियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कोई अग्रिम प्रोत्साहन और राजसहायता प्रदान की जाती है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ): क्या सरकार की चार्जिंग अवसंरचना के विकास को सुकर बनाने और भारत में एक सुदृढ़ ईवी विनिर्माण परिवेश की स्थापना में सहायता करने की योजना है;

(ङ): क्या इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों, चार्जिंग स्टेशनों और परीक्षण सुविधाओं के लिए कोई विशिष्ट वित्तपोषण संबंधी प्रावधान किए जाएंगे; और

(च): आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों और संबंधित घटकों (कंपोनेंट) के घरेलू विनिर्माण को किस प्रकार बढ़ावा देती है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग) और (ङ): अभिनव वाहन संवर्धन में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन (पीएम ई- ड्राइव) स्कीम 29 सितंबर 2024 को अधिसूचित की गई थी, जिसका कुल बजटीय परिव्यय 10,900 करोड़ रुपए था। स्कीम की अवधि 07.08.2025 को बढ़ाकर 31.03.2028 कर दी गई है। पीएम ई-ड्राइव देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर भारत के परिवर्तन में योगदान दे रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य ई-दुपहिया, ई- तिपहिया, ई-ट्रक और ई-एम्बुलेंस के लिए मांग प्रोत्साहन प्रदान करके 28 लाख से अधिक ईवी का समर्थन करना है। ईवी के खरीदारों को

ईवी की खरीद मूल्य में अग्रिम कमी के रूप में मांग प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम, यानी ईवी विनिर्माताओं) को प्रतिपूर्ति की जाती है।

पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपए, पर्याप्त इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपए तथा स्कीम के अंतर्गत चिन्हित परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

'ई-बसों' के लिए, परिचालन व्यय (ओपेक्स) मॉडल या सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल पर ई-बसों के संचालन के लिए राज्य/शहर परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) को अनुदान प्रदान किया जाता है।

(घ): विद्युत मंत्रालय ने "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना 2024 की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश" जारी किए हैं, जो बैटरी स्वैपिंग/चार्जिंग स्टेशनों सहित जुड़े हुए और अंतरप्रचालनीय ईवी चार्जिंग अवसंरचना नेटवर्क बनाने के लिए मानकों और प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार करते हैं।

ईवी चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) स्थापित करना एक गैर-लाइसेंस प्राप्त गतिविधि है और निजी संस्थाएँ पूरे भारत में ईवीसीएस स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। पीएम ई-ड्राइव स्कीम में अखिल भारतीय स्तर पर सार्वजनिक ईवीसीएस/चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

पीएम ई-ड्राइव के तहत ईवी घटकों के स्थानीयकरण के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) अधिदेश के साथ-साथ भारी उद्योग मंत्रालय की अन्य स्कीमों जैसे पीएलआई-ऑटो, पीएलआई-एसीसी और भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम (एसपीएमईपीसीआई), भारत में मजबूत ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना का समर्थन करती हैं।

(ङ): भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों और संबंधित घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं, जिससे भारत सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" पहल के साथ तालमेल बिठाया जा सके:

i. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम: इस स्कीम के तहत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) अनुपालन देश में ईवी घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देता है।

ii. ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-ऑटो): सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने हेतु पीएलआई-ऑटो स्कीम को मंज़ूरी दी। यह स्कीम न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) के साथ एएटी उत्पादों (ईवी और ईवी घटकों सहित) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

iii. उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम: सरकार ने 12 मई, 2021 को 18,100 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी।

iv. भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम (एसपीएमईपीसीआई): 15 मार्च, 2024 को अधिसूचित इस स्कीम का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) और पाँचवें वर्ष के अंत में 50% डीवीए प्राप्त करना होगा।

*****